न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2020/08 दर्ज दिनांक : 12.02.2020

1. गिरधारीलाल पुत्र स्व. बृजलाल

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू।
2. उप वन संरक्षक, वन विभाग चूरू–

: निर्णय :

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. उपरोक्त अनवान का दावा प्रार्थी वादी की ओर से श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है।

2. उक्त कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 269 तादादी 105 बीघा 15 बिश्वा वाके रोही कस्बा चूरू में से 17 बीघा भूमि स्थित है इस भूमि में प्रार्थी अपने पिता के समय से रिहायशी ढाणी लगाकर रहता है वा ढाणी में अपने पिता के समय से रिहायशी ढाणील लगाकर रहता है वा ढाणी में एक ढालिया पक्का एक पक्की रसोई वा एक गागाजी महाराज का मंदिर वा दो पीने के पानी की कुंड भी बना रखी है जिसके पेमाईश मंदिर वा दो पीने के पानी की कुंड भी बना रखी है जिसके पेमाईश के बाद हाल खसरा नम्बर 1710/269 मीन तादादी 17 बीघा है जो राजस्व रिकॉर्ड में बीड़ दर्ज है वा मीन तादादी 17 बीघा है जो राजस्व रिकॉर्ड में बीड़ दर्ज है वा शेष कृषि भूमि के ख.नं. 1711/269 तादादी 88 बीघा 15 बिश्वा बने है जो वन विभाग के नाम खातेदारी दर्ज है।

3. यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 269 मीन तादादी 17 बीघा में से 12 बीघा 15 बिश्वा भूमि जिसके वर्तमान में ख.नं. 1710/269 है की भूमि प्रार्थी अपने पिता स्व. बृजलाल के जीवनकाल से सन् 1958 से लगातार काश्त कर रहे है। यह कृषि भूमि पहले सेठ मदनगोपाल बागला की खातेदारी में थी एवं तब से ही यह कृषि भूमि पहले सेठ मदनगोपाल बागला की खातेदारी में थी एवं तब से ही यह कृ षि भूमि स्व. बृजलाल वा वाद काश्त करते ह। इस हेतु माननीय जिला कलक्टर महोदय चूरू द्वारा अपील सं. 218/72 निर्णय दिनांक 23.08.73 में निर्णय पारित किया हुआ है जो आज तक कायम है।

4. यह कि उपर्युक्त कृषि भूमि बाबत जिला कलक्टर महोदय चूरू द्वारा दिनांक 23.08.1973 वा तहसीलदार महोदय चूरू द्वारा दिनांक 31.10.1988 को आदेश पारित किया जाकर स्व. बृजलाल के नाम ख.नं. 269 की 17 बीघा कृषि भूमि में से 12 बीघा 15 बिश्वा कृषि भूमि नियमन किये जाने की भी आदेश पारित किया गया है जो आदेश आज तक कामय है।

5. यह कि उपर्युक्त कृषि भूमि ख.न. 269 मीन जिसके वर्तमान ख.नं. 1710/269 तादादी 17 बीघा वाके रोही कस्बा चूरू में से 12 बीघा 15 बिघा 15 बिश्वा कृषि भूमि सन् 1958 के पहले से स्व. बृजलाल वा प्रार्थी काश्त करते है वा उस समय यह कृषि भूमि चारागाह सरकारी नहीं हो कर सेठ मदनगोपाल बागला की खातेदारी [illegible] थी।

6. यह कि उपरोक्त कृषि भूमि गत ख.नं. 2[illegible] पहले [illegible] मनद गोपाल बागला की की खातेदारी में थी जो संवत् 2012 के पहले [illegible] करते थे वा सन् 1968, 1969 में भी इस कृषि भूमि को बतौर काश[illegible] काश्त करते थे इस प्रका[illegible] नियमानुसार इस कृषि भूमि को बतौर काश्तकार प्रार्थी के पिता ही [illegible] करते थे इस प्रकार प्र[illegible]नुसार इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:45 IST
Reason: SelfAttested

कृषि नियमानुसार इस कृषि भूमि को प्रार्थी की खातेदारी में नहीं दर्ज कर गलत रूप से नव विभाग के नाम अंकित खातेदारी में नहीं दर्ज कर के गलत रूप से नव विभाग के नाम अंकित कर दिया है जो राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाया जाकर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने इस कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करवाये जाने का वादी को पूर्ण अधिकार है।

7. यह कृषि भूमि ख.नं. 1710 / 267 तादादी 17 बीघा वाके रोही कस्बा चूरू राज्य सरकार द्वारा कभी भी वन विभाग को आवंटित नहीं की गई बल्कि यह कृषि भूमि शुरू से ही पहले सेठ मनद गोपाल बागला के बीड़ के नाम खातेदारी में दर्ज थी वा बाद में गेर मुमकिन बीड़ के नाम से दर्ज हुई। ख.नं. 269 की 88 बीघा 15 बिश्वा कृषि भूमि ही वन विभाग को आवंटित हुई थी जिसका नामान्तरण सं. 317 वन विभाग के नाम दर्ज हुआ व इसी नामान्तरण सं. 317 वन विभाग के नाम दर्ज हुआ व इसी नामान्तरण सं. 317 वन विभाग के नाम के नाम दर्ज हुआ व इसी नामान्तरण सं.317 में ख.न. 269 में तादादी 17 बीघा जिसके वर्तमान ख.नं. 1710 / 269 है गैरमुमकिन बीड़ ही रखा गया जिस नामान्तरण सं. 317 को आज तक वन विभाग चूरू या राज्य सरकार, द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

8. यह कि उपर्युक्तानुसार बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के ख.नं. 269 मीन तादादी 17 बीघा जिसके वर्तमान ख.नं. 1710 / 269 है को नामान्तरण सं. 1685 के द्वारा आदेश जेर प्रार्थना पत्र से गलत रूप से वन विभाग के नाम दर्ज किया गया है।

9. जो पूर्णतया अवैधानिक है इस प्रकार नामान्तरण सं. 1685 दिनांक 19.06.2006 बिना किसी सक्षम न्यायालय क आदेश के दर्ज किया गया है जो अवैधानिक दर्ज होने से शुन्य एवं अवैधानिक हैं जिसके नामान्तरण के विरूद्धअपील सक्षम न्यायालय संभागय आयुक्त महोय बीकानेर के न्यायाल में विचाराधीन है। यह कि खसरा नम्बर 1710 / 269 तादादी 17 बीघा वाके रोही कस्बा चूरू को भूमि राज्य सरकार द्वारा कभी भी वन विभाग को आंवटित नहीं की गई लेकिन बिना आवंटन के ही राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के वा बिना भूमि इन विभाग को आवंटित हुए गलत रूप से नामान्तरण सं. 1685 के द्वारा ख. नं. 1710 / 269 की भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई जो बिना किसी आधार के होने से अवैधानिक वा एविनिसिया वोयड है जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 02 वन विभाग का इस भूमि के बाबत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है लेकिन अप्रार्थी सं. 02 इस गलत वा बिना अधिकार के बनाये गये निनिशियो वोयड राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थी को जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ताकत के बल पर जबरन देदखल करने पर आमदा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैद्यानिधक प्रक्रिया अपनाये ताकत के बल पर जबरन बेदखल करने पर आमदा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैद्यानिक अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

10. यह कि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती नहीं कर रहे है वा प्रार्थी को जबरन बिना सुनवाई का अवसर दिये फोरी तौर पर ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमदा है। अप्रार्थी सं. 02 अपने कर्मचारियो को साथ लेकर दिनांक 07.02.2020 को दोपहर में प्रार्थी के कब्जे वा काश्त सुदा भूमि पर आये वा प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो तरफ लगी बाड़ को जबरन उखाडने की धमकीया देने लगे।

11. इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र बाबत प्राप्त करने अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की जारी की जावे कि [illegible] / 269 तादादी 12 बीघा 15 बिश्वा वाके राही चूरू से प्रार्थी को अप्रार्थीगण जबरदस्[illegible] नहीं करे ना प्रार्थी के कब्जे उपयोग वा उपभाग में बाधा डाले।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के [illegible] का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक सम्मन तलब किया [illegible] जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:45 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राज व अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता बजरंगलाल शर्मा उपस्थित हुए प्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि मद संख्या 01 प्रार्थना पत्र मे लिखे अनुसार दावा प्रस्तुत करना स्वीकार है मद संख्या 02 प्रार्थना पत्र का संबंध प्रार्थी से है। मद संख्या 02 को प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी का है। मद संख्या 03 प्रार्थना–पत्र अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी नके पिता ने अतिक्रमी के रूप में काश्त की है। मद संख्या 04 प्रार्थना–पत्र अस्वीकार है क्योंकि वादगत भूमि आज भी गैर मुमकिन बीड़ दर्ज। मद संख्या 05 प्रार्थना–पत्र को प्रमाणित करने का भार प्रार्थी पर है। वर्तमान ने भूमि गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है। मद संख्या 06 प्रार्थनपा पत्र अस्वीकार है। प्रार्थी इस भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है तथा ना ही यह भूमि कृषि भूमि है। मद संख्या 07 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। प्रार्थी ने वादगत भूमि को कृषि भूमि होना गलत बताया है। मद संख्या 08 प्रार्थना पत्र का संबंध अदालतवाला से ह। मद संख्या 09 प्रार्थना–पत्र का संबंध अदालतवाला से है। मद संख्या 10 प्रार्थना पत्र कानूनी है। प्रार्थी के पक्ष में कोई मामला नहीं बनता है। मद संख्या 11 प्रार्थना पत्र अदालतवाला से अप्रार्थी वनविभाग से संबंधित है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र तैयार कर सादर प्रस्तुत है।

उपर्युक्त अनवानी प्रार्थना–पत्र में में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र निम्नासुर प्रस्तुत किया गया है।

1. यह कि मद संख्या 01 प्रार्थना पत्र में उपरोक्त अनवानी दावा श्रीमान्जी के न्यायालय में पेश किये जाने के तथ्य से इंकार नहीं है मगर उक्त दावा में प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई आशा नहीं है।

2. यह कि मद संख्या 02 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। वादगत भूमि में प्रार्थी का कब्जा बतौर अतिक्रमी चला आया है जिसके बाबत समय–समय पर तहसीलदार चूरू द्वारा प्रार्थी के अतिक्रमी होने बाबत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रार्थी के खिलाफ की गई है। वादगत भूमि के मौजूदा खसरा नम्बर 1710/269 रकबा 4.2958 हैक्टैयर गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है।

3. यह कि मद संख्या 03 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है। स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। इस मद के सभी तथ्य प्रार्थी को स्वयं साबित करने है। इस मद के तथ्य प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को गलत रूप से रंग देने की गर्ज से बढा चढाकर दर्ज करवाये है। यह कृषि वर्तमान में गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है।

4. यह कि मद संख्या 04 प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है। स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। जो नियमन इस मद में प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय चूरू द्वारा पारित किया गया होने का कथन अंकित किया है उसके अनुसरण में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उक्त आदेश के क्रम में नहीं की गइ है। वादगत भूमि आज भी गैर मुमकिन बीड़ दर्ज है।

5. यह कि मद संख्या 05 प्रार्थना–पत्र के तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है। स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। वादगत भूमि सही रूप से वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। इस मद में अंकित सभी तथ्य प्रार्थी द्वारा स्वयं साबित किये जाने है। वादगत भूमि मौजूदा समय में गैरमुमकिन बीड़ दर्ज है।

6. यह कि मद संख्या 06 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है। स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। वादगत भूमि सही रूप से वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। जो राजस्व रिकॉर्ड किसी भी रूप में दुरुस्त [illegible] वादगत भूमि का रकबा मौजूदा समय में 4.2998 हैक्टेयर दर्ज है।

7. यह कि मद संख्या 07 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है। स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। वादगत कृषि भूमि [illegible] वभिाग चूरू के नाम दर्ज की गई है। जो नामान्तरकरण संख्या 1685 दिनांक 19.06.2006 वादगत भूमि बाबत दर्ज किया गया है। वह सही रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:45 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज किया गया है। प्रार्थी वादगत भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज चला आया है। नामान्तरकरण संख्या 1685 किसी भी रूप में अवैधानिक अथवा शून्य नहीं है। इस नामान्तरकरण के खिलाफ जो अपील माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष लम्बित थी उसका निस्तारण किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू को रिमाण्ड किया जा चुका है। प्रार्थी वादगत भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है।

8. यह कि मद संख्या 08 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है। स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। वादगत भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 1685 सही रूप से दर्ज किया गया है। प्रार्थी वागदत भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज चला आया है। अतिक्रमी को विधिक प्रावधानों के तहत बेदखल करने हेतु समय–समय पर कार्यवाही तहसीलदार चूरू द्वारा की जाती रही है। प्रार्थी किसी भी प्रकार अप्रार्थी उतरदाता के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

9. यह कि मद संख्या 9 प्रार्थना पत्र के मथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है। स्वीकार नहीं अस्वीकार किय जाते .है। इस मद के सभी तथ्य प्रार्थी ने अत्यधिक बढा चढाकर अपने प्रार्थना पत्र को गलत रंग देने की गर्ज से दर्ज करवये है। इस मद के सभी तथ्य प्रार्थी को स्वयं साबित करने है। तक अतिक्रमी को खातेदार अधिकार प्राप्त करने का कोई हक व अधिकार कानूनन हासिल नहीं होता है। प्रार्थी अप्रार्थी उतरदाता के खिलाफ अस्थई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है।

10. यह कि मद संख्या 10 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। प्रार्थी की स्थिति मौजूदा प्रकरण में किसी भी प्रकार अतिक्रमी से अधिक नहीं रही है। वन विभाग की भूमि सुरक्षित भूमि है जिस पर कानूनन किसी भी व्यक्ति को को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते है। तहसीलदार चूरू तहसीलदार चूरू द्वारा जो नियमन बाबत तथाकथित आदेश जारी किया जाना बताया गया है उसके अनुसरण में प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वादगत भूमि पर प्रार्थी की स्थिति एक अतिक्रमी से अधिक नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में कोई भी प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त साबित सुदा नहीं है। प्रार्थी किसी भी प्रकार अप्रार्थी के खिलाफ अस्थई निषेधाज्ञा जारी करवा लेने का अधिकारी नहीं है।

11. यह मि मद संख्या 11 प्रार्थना पत्र के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। इस मद के सभी तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। इस मद के सभी तयि प्रार्थी ने अपनी सुविधा के अनुसार गलत व मिथ्या तोड़ मरोड़कर दर्ज करवाये है। इस मद के सभी तथ्य प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र का गलत आधार तैयार करने के क्रम में अत्यधिक बडा चढाकर दर्ज करवाये है। नामान्तरकरण संख्या 1685 सी रूप से वन विभाग चूरू के नाम दर्ज किया गया है। जिसे इस प्रार्थना पत्र से संबंधित दावा के माध्यम से किसी भी रूप में निरस्त नहीं किया जा सकता है। वादगत भूमि अप्रार्थी उतरदाता की भूमि है।

प्रार्थी की हैसियत वादगत भूमि पर मात्र एक अतक्रमी की है। जिसके कारण प्रार्थी का मूल वादपत्र किसी भी रूप में कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी का मूल वादपत्र ही कानूनन चलने योग्य नहीं है तो प्रार्थी किसी भी सूरत में अप्रार्थी उतदराता के चिालाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा लेने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथ्री का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा मय खच [illegible] त होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अ[illegible]कन [illegible]ा गया तथा बहस पर गौर किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा धारा 212 राजस्था[illegible] 1955 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी तथा अप्रार्थीगण [illegible] कथनों, प्रस्तुत दस्तावेजों, जवाब–प्रार्थना पत्र

तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर न्यायालय निम्न बिंदुओं पर विचार करता है कि कि वादी के पास प्रथम दृष्टया कोई मजबूत अधिकार सिद्ध नहीं वादी का पूरा दावा इस आधार पर है कि वह तथा उसके पिता 1958 से भूमि पर काश्त करते आए हैं तथा नियमन के कुछ आदेश (1973, 1988) वादी के पक्ष में पारित हुए थे। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसारः विवादित भूमि खसरा नंबर 1710/269 रकबा लगभग 4.29 हैक्टेयर गैर–मुमकिन बीड़ दर्ज है। यह वन विभाग की भूमि के रूप में नामान्तरण संख्या 1685/19–06–2006 के तहत दर्ज है। वादी इस नामान्तरण को अवैधानिक बताता है उक्त नामान्तरण के निरस्तीकरण का अधिकार इस न्यायालय के पास नहीं है। वादी स्वयं राजस्व अभिलेख में अतिक्रमणकारी (Encroacher) के रूप में दर्ज पाया गया अप्रार्थी वन विभाग की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार वादी के विरुद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमण कार्यवाही समय–समय पर की गई। अतः वादी का दावा वैध खातेदारी पर आधारित प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाता। अतः Prima Facie Case वादी के पक्ष में स्थापित नहीं होता। अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी वादी के पक्ष में नहीं भूमि गैर–मुमकिन बीड़ है, राज्य/वन विभाग की भूमि है। ऐसी भूमि पर किसी निजी व्यक्ति को कब्जा बनाए रखने का कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। यदि वादी अतिक्रमणकारी पाया जाता है तो उसे हटाए जाने पर कोई अपूरणीय क्षति नहीं मानी जा सकती क्योंकि कानून अतिक्रमण के संरक्षण की अनुमति नहीं देता । अतः अपूरणीय क्षति का तत्व वादी सिद्ध नहीं कर पाया। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं सरकारी भूमि को सुरक्षित रखना, तथा उसके गलत उपयोग/अतिक्रमण से बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। वादी ने न तो कोई वैध पट्टा, न खातेदारी अधिकार, न ही कोई विधिक स्वीकृति प्रस्तुत की। भूमि का शीर्षक विवाद उच्च राजस्व प्राधिकारी के समक्ष है, अतः इस न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं। इसलिए सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है। धारा 212 RTA का उद्देश्य ऐसी संपत्ति की रक्षा करना जिस पर वादी के वैध अधिकारों का प्रथम दृष्टया आधार हो तथा कब्जा छिनने का वास्तविक खतरा हो। किन्तु वादी के पास वैध अधिकार/खातेदारी का कोई प्रमाण नहीं भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी/वन विभाग की है वादी अतिक्रमणकारी है और नामान्तरण विवाद का निर्णय उच्च प्राधिकारी के समक्ष है। अतः धारा 212 के आवश्यक तत्व वादी सिद्ध नहीं कर पाया। अतःन्यायालय का निर्णय उपरोक्त तथ्यों, राजस्व रिकॉर्ड, कानून एवं दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय यह पाता है कि वादी धारा 212 RTA के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पूर्णतः निराधार व अस्वीकार्य है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:45 IST
Reason: SelfAttested